प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र /.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/11/25	वकु० उप० / पत्रा० वास्ते बहस दि० 7/1/26 को पेश हो /
7/1/26	वकुलाए उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खं0 सं0 462 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा हाल खं0 सं0 786 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा केचमेन्ट खं0 सं0 1052 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी वर्तमान जमाबन्दी में अनुचित एवं अवैध रूप से अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के खाते दर्ज है अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से पूर्व यह भूमि अप्रार्थीगण के पिता हजारी लाल वल्द लक्ष्मीनारायण ब्राहम्ण के खाते दर्ज थीं जो उनके देहान्त के बाद फौती नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुयी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2000 से 2003 में मदनदास वल्द नाथूदास बाबाजी के खाते में दर्ज थी मदनदास के पुत्र कल्याणदास हुये मदनदास एवं कल्याणदास का देहान्त हो चुका है। कल्याणदास के पुत्र प्रार्थीगण 1 लगायत 4 है और प्रार्थी क्रम 5 कल्याणदास की विधवा पत्नि है अप्रार्थी क्रम 5 व 6 कल्याणदास के मृतक पुत्र सूरजमल के पुत्र एवं अप्रार्थी क्रम 7 प्रेमबाई उसकी विधवा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण 1 लगायत 4 एवं स्व0 सूरजमल का पेत्रिक सम्पति होने के कारण जन्म से ही सहखातेदारी अधिकार निहित हो गया था पूर्व खातेदार मदनदास के देहान्त के पश्चात उनके पुत्र कल्याणदास एवं पौत्र कन्हैयालाल, देवकिशन, रामलक्ष्मण, महावीर व सूरजमल का प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि में समान रूप से 1/6, 1/6 खातेदारी हक निहित हो गया था और वे संयुक्त रूप से काबिज काश्त हो गये थे। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। किन्तु दिनांक 20.02.99 को पटवारी हल्का से पूछताछ करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुयी कि वादग्रस्त भूमि हजारी लाल ब्राहम्ण के खाते दर्ज कर दी गयी और उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के खाते दर्ज हो गयी है। यह प्रविष्टि प्रार्थीगण की जानकारी के बिना हुयी है। जो सर्वथा गैर कानूनी है और प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। राजस्व रिकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि स्व0 कल्याणदास द्वारा किये गये किसी बैचान के आधार पर हजारी लाल के खाते दर्ज की गयी है। जबकि कल्याणदास को वादग्रस्त भूमि बैचान करने का कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे यदि कल्याणदास द्वारा कोई विक्रय पत्र अप्रार्थीगण के पिता स्व0 हजारी लाल के नाम पर निष्पादित कराया भी गया हो तो वह प्रार्थीगण के हिस्से की सीमा तक सर्वथा अवैध एवं शून्य है और ऐसे किसी भी विक्रयपत्र से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पर कोई प्रभाव नही पडता है। इस प्रकार के किसी बेचान से प्रार्थीगण का हिस्सा स्व0 हजारी लाल एवं अप्रार्थीगण के हस्तान्तरित किया हुआ नही माना जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि खं0 सं0 786 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी से प्रार्थीगण को बैदखल नही करे और इस भूमि पर जबरन कब्जा नही करे। वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार हस्तान्तरण नही करने और भारग्रस्त नही करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
दोराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सक्षिप्त में दोहराते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी के पूर्वज कल्याण उर्फ कल्याणदास जी द्वारा जर्ये रजि0 विकयपत्र दिनांक 9.5. 1969 को बैचान कर अप्रार्थीगण के पिता हजारीलाल जी के हक में विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन कर उपरोक्त आराजी का कब्जा संम्भलाया था। तब से अप्रार्थीगण के पिता हजारीलाल जी तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वक्त बैचान प्रार्थीगण के पिता उपरोक्त आराजी के खातेदार होने से बेचान करने का हक अधिकार था। उक्त रजि0 विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं करने से अब यह कहना की कल्याणदास जी को विक्रय का अधिकार नहीं था। यह कहना उनका आफटरथोट माना जावेगा। नामान्तकरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत अपील को भी दिनांक 22.05.2000 को जिलाधीश महोदय बून्दी द्वारा सारहीन होने से खारिज कर दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्य वाद वर्णित आराजी कल्याण उर्फ कल्याणदास जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 09.5. 1969 से अप्रार्थीगण के पिता हजारीलाल को बैचान करने से जर्ये नामान्तकरण अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुयी जिसे प्रार्थीगण ने भी अपने वादपत्र में सम्भावित शब्दों में बिन्दू सं0 6 में अंकित किया है। उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1969 द्वारा बेचान की गयी कृषि भूमि वैद्य है अथवा नहीं, कल्याण उर्फ कल्याणदास को उक्त बेचान का अधिकार था या नहीं, कृषि भूमि पर कब्जा काश्त किसका है इन सब बिन्दूओं का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर होना है किन्तु अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी के सदभावी क्रेता होने से यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो सुविधा का संतुलन की हानि सदभावी क्रेता जो कि रिकाडेड खातेदार भी है को होगा। अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रमाणित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	